विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो. / परीक्षा प्रकोष्ठ / क.न्या.स. एवं लिपिक ग्रेड–II / 2022 / 2248 दिनांक: 05 / 08 / 2022

राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक (Junior Judicial Assistant), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड–द्वितीय (Clerk Grade-II) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2022

1- राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) [Rajasthan High Court Staff Service Rules, 2002] (As amended) एवं राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित) [Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986] (As amended) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक (Junior Judicial Assistant), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड–द्वितीय (Clerk Grade-II) के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों पर **संयुक्त** सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Applications) आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार दो वर्ष की अवधि तक रूपये 14,600/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में रहेंगे। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या L-5 के अनुसार पे–स्केल रू. **20,800–65,900 / –** संदेय होगा।

विशेष नोटः–

(1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) एवं राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित), विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(2) आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाए अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

2- **रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण (Number of Vacancies & Reservation)** :–

राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में कनिष्ठ सहायक तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड–द्वितीय की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण, जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं वर्गवार निम्न संलग्नानुसार है :–

A. **राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ न्यायिक सहायक** :– **संलग्नक – 1**

B. **राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी हेतु लिपिक ग्रेड द्वितीय** :– **संलग्नक – 2**

C. **राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु कनिष्ठ सहायक** :– **संलग्नक – 3**

D. **जिला न्यायालयों हेतु लिपिक ग्रेड द्वितीय** :–

  i. गैर–अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :– **संलग्नक – 4**

  ii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :– **संलग्नक – 5**

E. **जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) हेतु कनिष्ठ सहायक** :–

  i. गैर–अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :– **संलग्नक – 6**

  ii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :– **संलग्नक – 7**

नोटः–

i. उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति / शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।

ii. अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार चयन सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपयुक्त (suitable) अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार रिजर्व सूची भी तैयार की जा सकेगी।

05/08/2022

3- अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Areas) हेतु आरक्षित पदों के सन्दर्भ में :–

i. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय उपं आयोजना क्षेत्रों (TSP Areas) के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा अनुसरण किये गये अनुसूचित जनजातीय उप आयोजना कार्यक्रम के अनुसार होगा।

ii. जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं ब्लॉक आबूरोड़ के अनुसूचित क्षेत्रों हेतु अभ्यर्थियों का चयन क्रमशः प्रत्येक जिले को एवं आबूरोड़ हेतु उक्त ब्लॉक को एक स्वतंत्र इकाई मानते हुए किया जायेगा।

iii. इन अनुसूचित क्षेत्रों में 5% पद अनुसूचित जाति एवं 45% पद अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के शेष 50% पद पर किसी भी जाति या वर्ग के उसी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का, योग्यता के आधार पर वरीयता के क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा।

iv. अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45% स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर अन्य जिलों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जा सकेगी।

v. "अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो –

(क) 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है;

(ख) यदि उसका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता–पिता 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं और वह अपने जन्म से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है; या

(ग) उक्त खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा सम्बन्धित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।

4- बारां जिले की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत, पिछड़ी वर्ग की जातियों के लिए 10 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 5 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। शेष 36 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी।

5- विभिन्न वर्गों (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–

i. महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला सहित) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Categorywise Horizontal) रूप से होगा।

ii. **दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–**

(अ) दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal against total vacancies) रूप से होगा।

(ब) दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी (Authorized Certifying Authority) द्वारा विहित प्रारूप में जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र (Certificate of Disability) प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में प्रवृत्त सुसंगत नियमों के अनुसार निःशक्तता प्रमाण–पत्र धारक आवेदक ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।

iii. **उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sports Persons) के आरक्षण के संन्दर्भ में:–**

(अ) **"Outstanding sportspersons"** shall mean sportspersons who are bona fide resident of the State of Rajasthan, and,-

(i) represented Indian team in individual or in team event in any international tournament/ championship of any sports and games mentioned in column number 3 of table given below organized by the international sports body mentioned in column number 2 of the said table,-

S.No.	International Sports Body	Name of the Tournament/ Championship
1	International Olympic Committee [IOC]	Olympic Games (Summer)
2	Olympic Council of Asia [OCA]	Asian Games
3	South Asian Olympic Council [SAOC]	South Asian Games; commonly known as SAF games
4	Commonwealth Games Federation [CGF]	Commonwealth Games
5	International Sports Federation affiliated to IOC	World Cup/ World Championship
6	Asian Sports Federation affiliated to OCA	Asian Championship
7	International School Sports Federation [ISSF]	International School Games/ Championship

25/08/2022